

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 01/2011 अंतर्गत नियम 18-ए नगर सुधार अधि.  
(GCMS No. 2011/00077)

अनवान:

1. ललित कुमार व्यास पुत्र श्री कन्हैयालाल व्यास निवासी  
लालगुफा के पास गोगागेट के बाहर बीकानेर।

बनाम

1. अग्रवाल कन्दोई सम्पति ट्रस्ट जरिये अध्या गोगागेट के अंदर  
बीकानेर।
2. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर।

3.6.2024 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित।  
अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई।  
बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत  
उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की  
तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती  
है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की  
जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं  
अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित  
होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक  
03.06.2024 को सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर